संख्या-23/2025-342-22-4-2025-364237

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 24 मार्च, 2025

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में जनपद कुशीनगर में नवीन जिला कारागार के निर्माण हेतु द्वितीय किश्त की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-12719/नम-3/कुशीनगर/2025, दिनांक 19-03-2025 एवं पत्र संख्या-13168/नम-3/ईपीसी मोड/2024-25, दिनांक 22-03-2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- शासनादेश संख्या-8/2024/001-1054-22-4-2023-364237, दिनांक 06.02.2024 द्वारा जनपद कुशीनगर में नवीन जिला कारागार (बन्दी क्षमता 1026) के निर्माण कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में धनराशि रू0 22831.52 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति सहित उक्त के सापेक्ष प्रथम किस्त की धनराशि रू0 7991.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद कुशीनगर में नवीन जिला कारागार के निर्माण हेतु द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि **रू0 7991.00 लाख (रूपया उन्यासी करोड़ इक्यानवे लाख मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों</u>

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा ।

(2) इस सम्बन्ध में परियोजना हेतु मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-8/2024/001-1054-22-4-2023-364237,दिनांक 06.02.2024 में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(3) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य / मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य / मद में किया जाएगा।

(4) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जाएगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपभोग दिनाँक 31.03.2025 तक कर लिया जाएगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 79,91,00,000 (रुपये उनासी करोड़ इक्यानबे लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 025 **लेखा शीर्षक** 4070008000800 कारागारों का निर्माण **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-23/2025-342-22-4-2025-364237, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, प्रयागराज ।

(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज ।

(3) मुख्य अभियन्ता (भवन), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

(4) जिलाधिकारी, कुशीनगर।

(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(6) कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।

(7) अधीक्षक/वरिष्ठ जेल अधीक्षक कुशीनगर।

(8) निदेशक, वित्तीय सांख्कीयि निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

(9) निजी सचिव, मा० मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।

(10)वित्त नियंत्रक, कारागार, मुख्यालय, लखनऊ।

(11)वित्त (व्यंय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय व्यायक) अनुभाग-1/2

(12) गाई फाईल।

आज्ञा से,

अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।